छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम् विधान सभा का प्रथम सत्र

(दिसम्बर, 2023 सत्र)

बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य द्वारा

दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को प्रस्तुत

कृतज्ञता-ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :-

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री कवासी लखमा, सदस्य
4. श्री उमेश पटेल, सदस्य
5. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
6. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
7. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
8. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
9. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य
10. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
11. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
12. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
13. श्री रामकुमार यादव, सदस्य
14. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
15. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
16. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
17. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
18. श्री ओंकार साहू, सदस्य
19. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
20. श्री संदीप साहू, सदस्य
21. श्री इन्द्र साव, सदस्य
22. श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य
23. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
24. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
25. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
26. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
27. श्री जनक ध्रुव, सदस्य
28. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
29. श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

किन्तु खेद है कि –

1. कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
2. कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को मंहगाई भत्ता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. किसानों को चौथी किस्त प्रदान करने का उल्लेख नहीं हैं।
4. नई कृषि नीति का उल्लेख नहीं है।
5. युवाओं को रोजगार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. गोधन न्याय योजना का उल्लेख नहीं है।
7. नयी उद्योग नीति का उल्लेख नहीं है।
8. छत्तीसगढ़ की संस्कृति की नीति का उल्लेख नहीं है।
9. महिला स्व–सहायता समूह के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
10. कृषक मजदूर किसान न्याय योजना का उल्लेख नहीं है।
11. वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
12. आत्मानंद विद्यालय के संचालन की नीति का उल्लेख नहीं है।
13. अ.जा./अ.ज.जा. एवं पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का उल्लेख नहीं है।
15. महतारी वंदन योजना की स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।
16. किसानों के कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।
17. नक्सल समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
18. संविदाकर्मी, अनियमित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगियों का नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
19. बिलजी बिल हॉफ योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. आवास योजना कब तक पूर्ण होगी उसका उल्लेख नहीं है।
2. किसानों की कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।
3. बिजली बिल हाफ योजना का उल्लेख नहीं है।
4. कृषक मजदूरों को न्याय राशि के वितरण का उल्लेख नहीं है।
5. महिला कुपोषण दूर करने का उल्लेख नहीं है।
6. महतारी वंदन योजना कब से प्रारंभ होगी उल्लेख नहीं है।
7. नक्सल समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
8. गैंस सिलेंडर की सब्सिडी कब से प्रारंभ होगी का उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. एम.एस.पी. की बढ़ी हुई दर से किसानों को भुगतान का उल्लेख नहीं है।
2. हर घर रोजगार–घर–घर रोजगार का उल्लेख नहीं है।
3. लोक कला को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. खेल संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
5. बिजली बिल की भयावह वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।
6. ग्रामीण भूमिहीन को बाड़ी एवं आवास हेतु जमीन देने का उल्लेख नहीं है।
7. यूनिवर्सल हेल्थ केयर कार्ड का उल्लेख नहीं है।
8. प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का चांवल /चना हितग्राहियों को मिलने का उल्लेख नहीं है।
9. सर्व विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 1000/– प्रतिमाह पेंशन का उल्लेख नहीं है।
10. बायपास सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री उमेश पटेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
2. महिला स्व–सहायता समूह के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
3. मजदूर न्याय योजना का उल्लेख नहीं है।
4. किसानों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
5. युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु नीति का उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बिजली बिल हॉफ का कोई उल्लेख नहीं है।
2. डौडी लोहारा में मिडिल स्कूल से हाई स्कूल उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. बेरोजगारों को नौकरी देने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. वनों की कटाई के रोक का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बे मौसम से उत्पन्न परेशानी से किसानों को मुआवजा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. विधान सभा में पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में अवैध खनन के रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. धान बोनस की चौथी किस्त देने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. किसानों का कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
11. दैनिक वेतन भोगीयों का मानदेय बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में जल संग्रहण को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. डौंडी लोहारा विधान सभा में स्कूलों जर्जर स्थिति में हैं उस हेतु नवीन भवन का कोई उल्लेख नहीं है।
14. हमारे विधान सभा में प्रधान मंत्री सड़क के संधारण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में नई सिंचाई योजना का उल्लेख नहीं है, अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़को के संधारण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की समग्र नीति क्या होगी, कब तक बनेगी इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
5. राज्य कर्ज में डूब रहा है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
6. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के कार्यक्षेत्र या संसाधनों को बढ़ाने के संबंध में बजट का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में इंदिरा पेंशन योजना में राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. सरगुजा, बस्तर एवं सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में गौठान भूमि की उपलब्धता किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में वनो की हो रही अवैध कटाई की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
12. छात्राओं को निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
13. छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में 108 वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
15. विधायक विश्राम गृह एवं विधायक निवास निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
16. हर ब्लॉक में 10 एकड़ जमीन पर उद्यानिकी बनाने का उल्लेख नहीं है।
17. मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशियालिटी अस्पतालों में परिवर्तन करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में नक्सल समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के किसानों को दो साल का बकाया बोनस राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश के निजी स्कूल की मनमानी रोकने फीस नियामक आयोग के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।
21. वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वुमेन सेल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए नीति का उल्लेख नहीं है।
25. धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।
26. बे–मौसम बारिश व ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिऐ मुआवजा राशि का उल्लेख नहीं है।
27. दैनिक मजदूरों के लिए सम्मानजनक आय सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।

28. महिलाओं के देर रात्रि यात्रा के लिए तकनीकी से लैस विशेष वाहन की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में हाथियों से नुकसान होने पर 10 लाख रू. की राशि का मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में बेरोजगारो को 2500 रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
31. पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश में सिकलसेल के मरीजों को निःशुल्क ईलाज किये जाने संबंधी किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के दिव्यांगजनों को 1500 रू प्रतिमाह पेंशन दिये जान का उल्लेख नहीं है।
34. पेट्रोल व डीजल में वेट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।
35. लोकपाल अधिनियम में मुख्यमंत्री और मंत्री को भी लाये जाने का उल्लेख नहीं है।
36. जल संसाधन नीति बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
37. बेमौसम वर्षा से रबी फसल खराब होने के कारण मुआवजा दिये जान का कोई उल्लेख नहीं है।
38. 60 वर्षीय किसानों को 1000 रू व 75 वर्षीय किसानों को 1500 रू प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
39. सभी शहरी नागारीकों को 2 बीएचके आवास प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
40. शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
41. प्रदेश में 200 फूडपार्क की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
42. दो वर्षो से धान खरीदी का बकाया बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
43. स्कूल तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों को परिवहन की मुफ्त सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
44. प्रदेश के विद्यामितान एवं अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
45. प्रदेश में शिक्षाकर्मियों एवं कोटवारों के परिवारिक सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश में हाथियों के विचरण के लिए कॉरीडोर स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
47. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
48. प्रदेश में नगर सौनिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश में जल संग्रहण को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
50. प्रदेश में सीमेंट के दामों में वृद्धि की गई है, इसके रोकथाम की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
51. बुनकरो व शिल्पकारों के विकास के लिए किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
52. प्रदेश में छोटे भू–खण्डों की रजिस्ट्री एवं नामांतरण तथा राजस्व रिकार्ड में नक्शा दुरूस्त करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
53. प्रदेश में नये टाउनशिप एवं कॉलोनी निर्माण हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
54. प्रदेश में सीवरेज का पानी नदी में जाने से रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश में कुपोषण से मुक्त करने हेतु कार्यायोजना का उल्लेख नहीं है।
56. प्रदेश में चिटफंड कंपनी के जमाकर्ताओं की राशि की वापसी का कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
57. धान से इथेनाल बनाने पर प्रति लीटर आने वाले खर्च का उल्लेख नहीं है।
58. कृषकों को पेंशन योजना में जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
59. लोकपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों को लाने का उल्लेख नहीं है।
60. प्रदेश की नदियों के कटाव को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
61. प्रदेश में पुलिस विभाग के आधुनिकीरण का उल्लेख नहीं है।
62. प्रदेश में सभी निर्माण कार्य बंद है, निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
63. प्रदेश में हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
64. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
65. प्रदेश में भू–माफिया बढ़ रहे हैं, रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।
66. वनों के समुचित संर्वधन एवं संरक्षण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
67. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के स्थापन का उल्लेख नहीं है।
68. प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
69. प्रदेश के मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
70. प्रदेश में गरीब महिलाओं एवं बहनों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
71. समस्त शासकीय लिपिक वर्ग के वेतन विसंगति दूर कर वेतनमान में सुधार का उल्लेख नहीं है।
72. प्रदेश में कितने नरवा बनाये गये तथा इससे कितने लोग लाभान्वित हुए का उल्लेख नहीं है।
73. प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिजनो को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
74. नागरिक सेवाओं के विस्तार कर घर पहुंच सेवा के उचित क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
75. प्रदेश के नगरीय निकायों में नियमितिकरण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
76. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।
77. प्रदेश के लोक कलाकारों को उचित सम्मान दिये जाने एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
78. प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर समस्त प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं को शत प्रतिशत नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध काराने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
79. प्रदेश के अस्पतालों में दवाईयों, उपकरणों एवं पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ उपलब्ध कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

80. प्रदेश के वृद्धजनों को तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
81. निर्धन कन्या विवाह हेतु योजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
82. प्रदेश केआंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
83. वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
84. महिला स्व–सहायता समूहों की कर्ज माफी का विभागीय बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
85. प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।
86. बेरोजगारों को न्यूनतम 2500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने एवं विगत 4 वर्षों का एरियर्स देने का कोई उल्लेख नहीं है।
87. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
88. प्रदेश में बुनकरों एवं शिल्पकारों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
89. प्रदेश में धान की बिक्री पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।
90. प्रदेश के किसानों को पूरा बिजली बिल माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
91. प्रदेश के हर जिले में फूड पार्क स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।
92. प्रदेश में मनरेगा योजना के लंबितों का भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
93. प्रदेश के किसानों को रबी फसल का बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।
94. प्रदेश में पिछले वर्ष खरीदी गई धान में से खराब हुए धान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
95. प्रदेश में सोलर योजनान्तर्गत नेट बिलिंग योजना लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
96. अवैध निर्माण के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है ।
97. आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
98. ई. फ्रॉड रोकने का उल्लेख नहीं है।
99. फूल, फल एवं सब्जी, किसानों की सुविधाओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
100. बारनवापारा अभ्यारण्य के विकास का उल्लेख नहीं है।
101. फर्जी डिग्री से फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने वालो पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
102. सड़क दुर्घटना रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
103. राजधानी रायपुर के यातायात समस्या से निजात दिलाने का उल्लेख नहीं है ।
104. जल जीवन मिशन के कार्य समय सीमा हों, का उल्लेख नहीं है।
105. जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
106. अमृत मिशन के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
107. मजदूरों के हितों का उल्लेख नहीं है।
108. खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का उल्लेख नहीं है।
109. बायपास सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

110. खिलाड़ियो के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
111. चार सालों से खिलाड़ियों को आर्थिक पुरस्कार प्रदाय का उल्लेख नहीं है।
112. उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चार साल से घोषणा का कोई उल्लेख नहीं है।
113. खिलाड़ियो की सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।
114. खेल संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
115. लोक कला को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
116. बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
117. हर घर रोजगार – घर–घर रोजगार का उल्लेख नहीं है।
118. शहरो के विकास का उल्लेख नहीं है।
119. किसानों के पूर्ण कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
120. एम. एस. पी. की बढ़ी हुई दर से किसानों को भुगतान का उल्लेख नहीं है।
121. बिजली बिल की भयावह वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।
122. सर्व विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 1000/– प्रतिमाह पेंशन का उल्लेख नहीं है।
123. प्रधानमंत्री खद्यान्न योजना का चांवल/चना हितग्राहियों को मिलने का उल्लेख नहीं है।
124. यूनिवर्सल हेल्थ केयर कार्ड का उल्लेख नहीं है।
125. ग्रामीण भूमिहीन को बाडी एवं आवास हेतु जमीन देने का उल्लेख नहीं है।
126. शहरी आवासहीन परिवारों को मकान देने का उल्लेख नहीं है।
127. भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा देने का उल्लेख नहीं है।
128. हाथी–मानव द्वन्द रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
129. वनों के अवैध कटाई रोकने का उल्लेख नहीं है।
130. जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
131. पर्यटन स्थल के विकास की नीति का उल्लेख नहीं है।
132. प्रायमरी से हायर सेकण्डरी स्कूल तक कृषि शिक्षा के लिये उल्लेख नहीं है।
133. तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
134. फंड मुंशियों को पर्याप्त मानदेय का उल्लेख नहीं है।
135. DMF फंड के लूट को रोकने का उल्लेख नहीं है।
136. 2: वन क्षेत्र में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
137. जवाहर सेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
138. वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।
139. दुकानदारों/व्यापारियों की बिजली बिल की दर कम करने का उल्लेख नहीं है।
140. शासकीय कर्मचारियों को समयबद्ध क्रमोन्नति का उल्लेख नहीं है।
141. शिक्षा लोन पर अनुदान का कोई उल्लेख नहीं है।
142. विद्यार्थी कल्याण योजना का उल्लेख नहीं है।
143. बस्तर, सरगुजा, सूपेबेड़ा के लिये एयर एम्बुलेंस सेवा का कोई उल्लेख नहीं है।
144. 108 एम्बुलेंस बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
145. विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक, टेक्नीशियन, नर्स, स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

146. 16 मेडिकल कॉलेज को मल्टी सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में बदलने का कोई उल्लेख नहीं है।
147. दिव्यांग पेंशन 500/– 52 का उल्लेख नहीं है।
148. इंदिरा पेंशन योजना का उल्लेख नहीं है।
149. सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं है।
150. वरिष्ठ नागरिक पोषण आहार योजना का उल्लेख नहीं है।
151. फुलवारी स्थापना का उल्लेख नहीं है।
152. महतारी सम्मान योजना का 500 /–7 का उल्लेख नहीं है।
153. जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास भवन का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
154. सभी जिला मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय/छात्रावास का उल्लेख नहीं है।
155. चिटफंड निवेशकों का पैसा वापसी का उल्लेख नहीं है।
156. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को समुचित आरक्षण का उल्लेख नहीं है।
157. अनुसूचित जाति को आरक्षण के लाभ का कोई उल्लेख नहीं है।
158. सामान्य वर्ग के बी पी एल को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख नहीं है।
159. छात्रों को निःशुल्क तकनीकी एवं व्यवासायिक शिक्षा का उल्लेख नहीं है।
160. जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र का सरलीकरण का उल्लेख नहीं है।
161. अवैध रेत खनन रोकने का उल्लेख नहीं है।
162. रेत, मुरम, गिट्टी, सीमेंट सहित निर्माण सामग्री के बढ़ते दर को रोकने का उल्लेख नहीं है।
163. बकरी पालन, सुअर पालन की उपयुक्त योजना का उल्लेख नहीं है।
164. उपयुक्त उद्यानिकी नीति का उल्लेख नहीं है।
165. हर ब्लॉक में 100 एकड़ बंजर जमीन पर उद्यानिकी पायलट प्रोजेक्ट का उल्लेख नहीं है।
166. शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
167. किसानों के पूर्ण कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
168. चयनित हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिले का उल्लेख नहीं है।
169. किसानों को दो साल का बकाया बोनस वितरण का कोई उल्लेख नहीं है।
170. प्रदेश में शराब बंदी किये जाने संबंधी किसी बात का उल्लेख नहीं है।

7. श्री भोलाराम साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रधानमंत्री सड़क योजना की मरम्मत करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. महिला समूह का कर्ज माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. बिजली बिल हॉफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. भूमिहिन किसानों को 10 हजार रूपये देने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में स्टॉप डेम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
6. खुज्जी विधान सभा में नई सड़कों का कोई उल्लेख नहीं है।
7. अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग संर्वधन का कोई उल्लेख नहीं है।
8. वन उपजों की खरीदी से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है।
9. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के गर्रापार से जोशीलमती पहुंच मार्ग का कोई उल्लेख नहीं है।
10. खुज्जी के गैदा टोल में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. मेरे विधान सभा क्षेत्र खुज्जी में उमरवाही में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
12. 2100 रूपये क्वंटल धान खरीदी का उल्लेख नहीं किया गया है।
13. 3100 रूपये प्रति क्वंटल धान का किमत देने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. किसानों का कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश भर में शराब बंदी का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. युवाओं के बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख नहीं है।
3. धान खरीद के 21 क्विंटल एवं 3100 रूपये राशि का उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है।
5. नक्सल प्रभावित क्षेत्र उन्मूलन का उल्लेख नहीं किया गया है।
6. गैस सिलेण्डर भुगतान हेतु स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।
7. महतारी वंदन योजना के अंतर्गत स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।
8. किसानों के दो साल का बोनस का उल्लेख नहीं किया गया है।
9. किसानों के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं किया है।
10. दो साल के बोनस के साथ ब्याज दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. बिजली बिल हॉफ योजाना को शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का उल्लेख नहीं है।
13. राम मंदिर (अयोध्या) दर्शन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

9. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. कुपोषित बच्चों के पोषण एवं उनके संरक्षण एवं उत्थान पर कोई विशेष कदम नहीं उठाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. महिला सुरक्षा एवं महिलाओं पर हो रहे अपराध रोकने हेतु कोई कारागार उपाय का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में अपराध रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. किसानों के कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. युवा मितान योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. महिला समूह के कर्जमाफी का कोई उल्लेख नहीं है।
4. बेरोजगारी भत्ता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
5. धान खरीदी 21 क्विंटल और राशि 3100 रू. के संबंध मे कोई उल्लेख नहीं है।
6. गौमूत्र खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।
7. वन उपज खरीदने की व राशि बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. धान खरीदी केन्द्रों में ही एकमुश्त नगद भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।
9. अवागमन के लिए पुल–पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
10. मातृ वंदन योजना का कोई उल्लेख नहीं है ।
11. गौधन न्याय योजना का कोई उल्ल्लेख नहीं है।
12. करहीभरद महाविद्यालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. नहरपार का डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
14. अवराभाठा, के सिंचाई ग्राम में राजस्व ग्राम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. गंगरेल तांदुला लिंक नहर का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. वन उपज खरीदने व राशि बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. किसानों को बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. बिजली बिल आधा करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. आवागमन हेतु पुल–पुलिया का कोई उल्लेख नहीं है।
5. किसानों के कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
6. धान खरीदी केन्द्रों में गांव में ही एकमुश्त नगद भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।
7. महतारी वंदन के 1000 रू. प्रतिमाह का कोई उल्लेख नहीं है।
8. वन कटाई को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. मेरे विधान सभा में स्टाप डेम के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
3. महिला बाल विकास के द्वारा कुपोषण रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. अनुसूचित जनजाति के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
5. रिजगांव क्षेत्र अभ्यारण क्षेत्र की विकास रोड पुल पुलिया एवं बिजली का कोई उल्लेख नहीं है।
6. सोंदुर बांध की सिंचाई सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड का कोई उल्लेख नहीं है।
8. किसानों का कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
9. बिजली बिल हॉफ का कोई उल्लेख नहीं है।
10. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।
11. वन कटाई पर रोक का कोई उल्लेख नहीं है।
12. 10000 भूमिहिन किसानों को राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. महिला समुहों का कर्ज माफ का कोई उल्लेख नहीं है।
14. सिहावा विधान सभा के रोड खराब है का कोई उल्लेख नहीं है।
15. किसानों के धान को 3100 रूपये क्विंटल खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।
    वन उपज से संबंधित का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री रामकुमार यादव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. सरकार द्वारा किसानों का धान क्रय 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मानक से क्रय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. राज्य हित में बिजली बिल हाफ करने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के ग्राम पंचायतों में महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा निरंतर गोबर खाद की खरीदी एवं वर्मी कंपोस्ट प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. गरीबों के हित में दी जा रही वार्षिक सहायता राशि 7000 रूपये का उल्लेख नहीं है।
5. जिला सक्ती के अंतर्गत कलमा व साराडीह बैराज के प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदाय करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के गृहणियों के लिए घरेलू गैंस कम दर में प्रदान करने संबंधी योजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के किसान एवं खेतीहर मजदूर के बीमा एवं दुर्घटना बीमा के संबंध में उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में वर्तमान में बढ़ रहे नक्सली घटनाओं को रोकने एवं निराकरण हेतु प्रयास का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में भूमिहीन, खेतीहर मजदूरों के सर्वांगीण विकास हेतु ठोस कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
5. छत्तीसगढ़ प्रदेश के फड़मुन्शियों को कमीशन के अतिरिक्त वार्षिक मानदेय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
6. छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अन्तर की प्रोत्साहन राशि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
7. कृषकों के दो लाख रूपये तक ऋण माफी करने का उल्लेख नहीं है।
8. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शेष चौथी किस्त प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
9. छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना का उल्लेख नहीं है।
10. छत्तीसगढ़ में किसान के आत्महत्या के कारणों के निदान का कोई उल्लेख नहीं है।
    महतारी वंदन योजना में लाभान्वित होने संबंधी स्पष्ट अवधारणा का उल्लेख नहीं है।

15. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. राजीव गांधी मितान न्याय योजना के चौथी किस्त का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में किसानों के कर्जा माफी का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. प्रदेश में युवाओ के रोजगार को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अनुपूरक बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
5. मस्तुरी विकासखण्ड में उच्चस्तरीय विश्रामगृह का कोई उल्लेख नहीं है।
6. मस्तुरी विधान सभा के अंतर्गत ग्राम सोव में सरारा नाला के उन्नयन एवं पूर्निमाण का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री कुंवरसिंह निषाद, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. धान खरीदी के 21 क्विंटल और राशि 3100 रूपये के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2. गन्ना किसानों के मूल्य एवं बोनस के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
3. भूमिहीन मजदूरों को दी जाने वाली राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
4. बेरोजगारी भत्ता के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है।
5. महिला स्व–सहायता समूह के कर्जमाफी का उल्लेख नहीं किया गया है।
6. किसानों को दी जाने वाली चौथी किस्त राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
7. राम लल्ला (अयोध्या दर्शन) का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
9. बिजली बिल हाफ योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
10. महतारी वंदन योजना का उल्लेख नहीं है।
11. फसल क्षतिपूर्ति का उल्लेख नहीं है।
12. किसानों के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के स्कूलों के उन्नयन एवं शासकीकरण का उल्लेख नहीं है।
15. मछली पालन के संदर्भ में उल्लेख नहीं है।
16. कलाकारों के पेंशन वृद्धि के संदर्भ में उल्लेख नहीं है।

17. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बिजली बिल आधा करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
2. वनांचल क्षेत्र में आदिवासी लोगों के वन अधिकार पट्टा का कोई उल्लेख नहीं है।
3. सड़क के साथ पुल–पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. नये जिला बना है उनके विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
5. मेरे विधानसभा के मुख्यमंत्री सड़क योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. स्वास्थ्य सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।
7. भूमिहीन मजदूर को वर्ष में सात हजार रूपये देने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. दो लाख तक किसान का कर्ज माफी तथा बोनस के साथ ब्याज देने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. स्कूल के बच्चों के लिए भी फ्री शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।

18. श्री ओंकार साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. 300 रूपये क्विंटल किसानों को बकाया बोनस के साथ 07 का ब्याज का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना का एवं उचित क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न रोकने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में नक्सल उन्मूलन हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में वृहद सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश की महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था के स्तर को उठाने का उल्लेख नहीं है।

19. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1 प्रदेश में मंदिरों एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

2 प्रदेश में वृहद सिंचाई योजनाओं के विस्तार तथा लाईनिंग कार्य के विस्तार का उल्लेख नहीं है।

3 प्रदेश के नगरीय निकायों के समूचित विकास हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

4 प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

5 प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा का स्तर का उठाने हेतु उचित कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

6 महिला उत्पीड़न रोकने हेतु पर्याप्त साधन का उल्लेख नहीं है।

7 प्रदेश में पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं हेतु योजना का उल्ल;ेख नहीं है।

20. श्री संदीप साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. पिछड़ वर्ग कल्याण को लेकर काई योजना का उल्लेख नहीं है।
2. न्याय योजना की चौथी किस्त दिये जाने का कोई उल्लेख नही है।
3. बिजली बिल हॉफ योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के युवाओं के रोजगार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
5. किसानों के कर्ज मॉफी का कोई उल्लेख नहीं है।
6. दो वर्ष का बोनस एवं ब्याज का देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
7. महतारी वंदन योजना कब से प्रारंभ होगी इसका कोई उल्लेख नहीं है।
8. कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महगाई भत्ते का कोई उल्लेख नहीं है।
9. अधूरे समोदा डायवर्सन के कार्य को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
10. तुरतुरिया राम वन गमन पथ का उन्नयन को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
11. खेलकूद के मैदानों व सुविधाओं को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के स्कूलों की शिक्षकों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
13. बलार जलाशय को नदी से जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. कसडोल में कन्या महाविद्यालय व कन्या छात्रावास का कोई उल्लेख नहीं है।

21. श्री इन्द्र साव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान कारने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. शराब बंदी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. गोधन न्याय योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
4. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
5. शासन द्वारा धान खरीदी की जा रही है उसकी मिलिंग कराने की योजना का उल्लेख नहीं है।
6. किसान न्याय योजना जिसकी चौथी किस्त 27 लाख किसानों को मिलने का उल्लेख नहीं है।
7. भाटापारा शाखा नहर को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. तेन्दुपत्ता संग्रहण दर (5500 प्रति/मा. बोरा) एवं 4 हजार 500 बोनस का उल्लेख नहीं है।
2. रामलला दर्शन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. किसानों का कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
4. शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
5. महिला स्व सहायता समूह के ऋण माफी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

23. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उचित कार्यप्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. महिला उत्पीड़न रोकने हेतु प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं है ।
3. बाल संरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
4. गर्भवती माताओं और कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु कोई उल्लेख नहीं है ।
5. गौ सेवा और गौठानों का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं है।

24. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. युवाओं के बेरोजगारी भत्ता का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. स्वास्थ्य चिकित्सा को सुव्यस्थित करने स्टॉफ व डॉ. की भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. 200 रू. बोनस दो साल का बकाया है तथा 7 साल के ब्याज सहित दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में शराब बंदी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. फसल नुकसान में बीमा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. शासकीय पदों पर समयबद्ध भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
7. महिलाओं के रोजगार से या सशक्तीकरण के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में आरक्षण नीति लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. 21 क्विंटल धान खरीदी एवं 3100 रू. की राशि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. युवाओं को रोजगार दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. धान खरीदी में बढ़ोत्तरी 21 क्विंटल किये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. ऋण माफी का उल्लेख नहीं है।
4. सड़कों के निर्माण में वनों की अवैध कटाई रोकने का तथा प्रदूषण रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

26. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. किसानों के हित में 3100 रूपये में धान की खरीदी एवं 21 क्विंटल लेने का उल्लेख नहीं है।
2. नारायणपुर में किसानों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
3. रवि फसल के लिये किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
4. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को चौथी किस्त दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

27. श्री जनक ध्रुव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. देवभोग विकासखण्ड के अंतर्गत किडनी रोग प्रभावित ग्राम सुपेवाड़ा में स्थायी समाधान का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।
3. सिचाई सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख नहीं है।
4. प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी किये जाने उल्लेख नहीं है।
5. धान का प्रति क्विंटल मूल्य 3100/– रूपये का उल्लेख नहीं है।

28. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. महतारी वंदन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में असमय बारिश होने के कारण किसानों की फसलों की बर्बादी से आर्थिक नुकसान की भरपाई होने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. धान खरीदी के 2 वर्षो के लंबित बोनस राशि भुगतान के साथ पिछले 7 वर्षों की ब्याज सहित राशि भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. बिजली बिल हॉफ योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

29. श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. किसानों के कर्जा माफ का कोई उल्लेख नहीं है।
2. बिजली बिल हॉफ योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. शिक्षित युवाओं के रोजगार एवं रिक्त पदों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
4. शासकीय कर्मचारियों को एरियस एवं डी.ए. मे बढ़ोत्तरी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. दो वर्ष के बोनस किसानों को देने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
7. सभी वर्गो के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
8. मातृ–वंदन योजना कब से प्रारंभ होगी उसका कोई उल्लेख नहीं है।
9. संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।